The 778th meeting of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) was held on 25st March, 2025 under the Chairmanship of Shri Rakesh Kumar Shrivastava for the projects which are scheduled in the agenda. Following members attended the meeting in person or through video conferencing -

1. Shri Vijay Kumar Ahirwar, Member.
2. Dr. Rakesh Kumar Pandey, Member.
3. Dr. Pallavee Bhatnagar, Member.
4. Dr. Sunita Singh, Member.
5. Dr. Sushil Manderia, Member.
6. Shri A.A. Mishra, Member Secretary.

The Chairman welcomed all the members of the State Expert Appraisal Committee. After that agenda items- wise taken up for deliberations.

1. **Case No. P-2/488 SUMAN KALAL, Owner, Ratlam road ward no. 3 Arnod Pratapgarh Rajasthan. M.P. Prior Environment Clearance for in an area of 4.0 ha., Gitti – 15,000 Cum/Annum and M-Sand – 40,000 Cum/Annum, (Khasra No. 375/6), Gram – Rampuriya, Tehsil and Distt. Ratlam (M.P.) (Query Reply)(TOR).**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 747वीं बैठक दिनांक 03/05/2024 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन–लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें

| परियोजनाविवरण | परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | गोपाल चौधरी निवासी गाव- अरनोद, जिला- प्रतापगढ़ राजस्थान | |
| खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | खसरानं. 375/6 (प्राइवेट –नॉनफॉरेस्ट लेंड) | क्षेत्रफल–4.0 हेक्टेयर |
| स्थल | ग्राम–रामपुरिया, तहसीलऔर जिला–रतलाम राज्य मध्य प्रदेश। | |
| लीजस्वीकृति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलामके पत्र क्रमांक2370/खनिज/2022-23, रतलाम दिनांक 05.10.2023 के द्वारा स्वीकृत। | |
| ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर | अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । | |
| डियाई.सी. का विवरण | -- | |

| | |
|---|---|
| (यदि लागू हो) | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर एवं मुररूम –55,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर -15,000 घनमीटर/वर्ष और मुररूम - 40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 55,000 घनमीटर/वर्ष है। |
| 500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक2772/खनिज/2023-24 रतलाम, दिनांक 01.12.2023 अनुसार500 मीटर की परिधि में01अन्य खदानेंस्वीकृतहै, परंतुवह खदाने अवधि समाप्त/निरस्तहोगईहै, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है। |
| वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलामके एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक2772/खनिज/2023-24 रतलाम, दिनांक 01.12.2023 10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थितनहींहै एवं 250 मीटरमेंवन क्षेत्र स्थितनहींहै । |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलामके एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक2772/खनिज/2023-24 रतलाम, दिनांक 01.12.2023 अनुसार500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिकभवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नालानहींहै । |
| ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत रामपुरिया जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26.01.2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है । |
| क्रेशर की स्थिति | क्रेशर लीज क्षेत्र में पूर्व से स्थापित है। |
| प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति | परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षणरिपोर्ट मे संलगन किया जाएगा। |

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुर्न मूल्यांकन का है, जिसमे आज दिनांक 25/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि पोर्टल में आवेदन करते समय तकनीकी समस्या आने के कारण परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुमन कलाल की जगह उनके पति श्री गोपाल चौधरी का नाम अंकित है। इस संबंध में उनके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पडेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. एम सेंड प्लान्ट एवं क्रशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शातें हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। ई.आई.ए. रिपोर्ट में पर्यावरणीय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी प्रस्तुत करें।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, रिवर रिजुविनेशन (समीप के नदी स्त्रोत) हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
11. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
12. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

**2. Case No. P-2/525/24 Shri Ved Goel, R/o- B.H.-13, Deendayal Nagar Gwalior, District- Gwalior, (M.P.) 474004. Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone, Lease Area – 1.0 Ha., Khasra No. - 132, 133, Proposed Production Capacity – 19,000 Cum/Year. Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior (M.P.)(DEIAA) (Query Reply)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 748वीं बैठक दिनांक 03/05/2024समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमेंसमिति द्वाराटॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता | Shri Ved Goel, R/o- B.H.-13, Deendayal Nagar Gwalior, District- Gwalior, (M.P.) 474004.Prior Environment Clearance forRafadpur Stone, Lease Area – 1.0 Ha., Khasra No. - 132, 133, Proposed Production Capacity – 19,000 Cum/Year. Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior (M.P.). SIA/MP/MIN/461156/2023. | |
| परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल | खसरा नं.–132, 133, | एरिया–1.00 ha., शासकीय भूमि |
| परियोजना सिलि | Village – Rafadpur, Tehsil – Dabra, District – Gwalior (M.P.). | |
| Activity | It is a stone quarry with a production capacity of 19,000 cubic meter per year Gitti having a lease area of 1.00 hectares, previously EC was issued by DEIAA Gwalior at Khasra No. – 132, 133, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022. | |
| ToR Status | Proposed ToR Submited. | |
| सैंधातिक सहमति | पत्र क्र0. . दिनांक 09/03/2018. | |
| पर्यावरणीय स्वीकृति | New. | |
| खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | N/A. | |
| **डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)** | **डिया कार्यालय जिला– ग्वालियर के पत्र क्रमांक 295 दिनांक 05/10/2018 के द्वारास्टोन –30,000घनमीटर/वर्ष हेतु** पर्यावरणीय स्वीकृति **जारी की गई थी।** | |
| उत्पादन क्षमता | **स्टोन –19,000 घनमीटर/वर्ष।** | |
| परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण। | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –**ग्वालियर**के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 29 अन्य खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5**4.248**हे. होता है, अतः प्रकरण **बी–1** श्रेणी के अंतर्गत आता है। | |
| परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –**ग्वालियर**के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित | |

| | |
|---|---|
| | नहीं है। |
| परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –**ग्वालियर**के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्/**नगर पालिक निगम** द्वारा जारी अनापत्ति पत्र | ग्राम पंचायत – लदेरा जिला –**ग्वालियर**द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव क्र0. 11 दिनांक 27/01/2008 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है। |
| जल/वायु सम्मति वैद्यता | Date of consent issued 03/12/2021, Validity of consent (Valid up to) 13/06/2025. |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–35 के सरल क्रमांक–71 पर दर्ज है। |

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में निम्न संवेदनशीलतायें पाई गई, जिनके संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि इनके संबंधा में पर्यावरणीय प्रबंधन योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये :–

| | |
|---|---|
| गूगल इमेज के अनुसार | उत्तर दिशा में – पक्का रोड 120 मीटर कि दुरी पर है |
| क्रेशर की स्थिति : | क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीहै |
| वृक्षों की वर्तमान स्थिति | लीज क्षेत्र में 5 पेड़ है जिसकी जानकारी फाइनलई आई ए के समय प्रस्तुत किया जायेगा |
| ब्लास्टिंग | अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह आश्वासन दिलाया गया है फाइनल ई आई ए में रॉक ब्रेकर प्रस्तावित माइनिंग प्लान लगाया जावेगा। |

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 773वीं बैठक दिनांक 17/02/2025 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

**प्रकरण में SEACकी 748वीं बैठक दिनांक 03/05/2024 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 855वीं बैठक दिनांक 28/05/2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07/05/2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही*

*“……4.*in view of the above direction of Hon’ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed

on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such……..mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA……" के परिपालन में उक्त प्रकरण*पुनः परीक्षण हेतु***SEAC***को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

After detailed discussion the committee decdided that ADS shall be issued in the all referred back cases so that PP shall submit their reply able to upload related documents if any.

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 25/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**3. Case No. P-2/548/2024 Smt. Sarika Alawa W/O Shri Shyam Alawa, R/o- 5/4, New V.I.P Road Kohefiza, Bhopal, District- Bhopal, (M.P.)- 462001, Prior Environment Clearance for Karami Stone Quarry with a production capacity of Max 32,191 m3/year Gitti having a lease area of 1.570 hectare, at Khasra No.-140, Village - Karami, Tehsil- Mada District- Singrauli (M.P.). [MIN/ 458887/2024.] (Referred Back case )(ToR).**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 749 A वीं बैठक दिनांक 13/05/2024, समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमेंसमिति द्वारा टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता | Smt.Sarika Alawa W/O Shri Shyam Alawa, R/o- 5/4, New V.I.P Road Kohefiza, Bhopal, District- Bhopal, (M.P.)- 462001, Prior Environment Clearance for Karami Stone Quarry with a production capacity of Max 32,191 m3/year Gitti having a lease area of 1.570 hectare, at Khasra No.-140, Village -Karami, Tehsil- Mada District- Singrauli (M.P.). SIA/MP/MIN/458887/2023. | |
| परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल | खसरा नं.–140, | एरिया–1.570 ha., शासकीय भूमि |
| परियोजना स्थल | Village -Karami, Tehsil- Mada District- Singrauli (M.P.). | |
| सैंधातिक सहमति | पत्र क्र0. 13321 दिनांक 05/10/2023. | |
| टॉर स्थिति | प्रस्तावित। | |
| Description of Project | It is a Stone Quarry with a production capacity of Max 32191 m3/year Gitti having a lease area of 1.570 hectare, at Khasra No.140 Village - Karami, Tehsil- Mada District- Singrauli (M.P.). | |
| खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | Controlled blasting techniques, Muffle Blasting and use of sand bags. | |
| **डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)** | **लागू नहीं।** | |
| उत्पादन क्षमता | ➢ **स्टोन**–32, 191 **घनमीटर/वर्ष**। | |
| परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण। | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –**सिंगरौली** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4223 दिनांक 23/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में **08** अन्य खदाने स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा **18.48** हे. होता है, अतः प्रकरण **बी–1** श्रेणी के अंतर्गत आता है। | |
| परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –**सिंगरौली** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 4223 दिनांक 23/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| परियोजना के संबंध राजस्व | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –**सिंगरौली** के एकल | |

| | |
|---|---|
| जानकारी | प्रमाण–पत्र क्रमांक 4223 दिनांक 23/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद् | कार्यालय ग्राम पंचायत –कारामी, जनपद पंचायत बैढ़न, जिला –**सिंगरौली** द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0. निरंक दिनांक 24/08/2023 द्वारा जारी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। |
| प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति | Tree Felling -<br>Additional tree to be planted -<br>लीज में स्थित पेड़ो की संख्या 20<br>फाइनल ईआईए के समय प्रस्तुत किया जायेगा |
| प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो) | उत्तर पेर्व दिशा– .आईसोलेटेड हट्स लगभग 168 मी., स्माल चेकडेम लगभग 200 मी. |
| जल/वायु सम्मति वैद्यता | CTE will be applied after getting Environmental Clearance as it is a fresh Quarry Lease. |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –**सिंगरौली** के पत्र क्रमांक 223 दिनांक 16/01/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सम्मिलित का लिया जावेगा।<br>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। |

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 749 A वीं बैठक दिनांक 13/05/2024, जिसमेंसमिति द्वारा टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

SEIAAकी 865वीं बैठक दिनांक 23/01/2025प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिय परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण सलाहकार का QCI/NABET सर्टिफिकेट जिसकी वैधता दिनांक 26.01.2024 तक अंकित है जो कि आवेदन दिनांक 22.02. 2024 के पूर्व ही समाप्त हो गई।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा पंचशाला एवं ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. प्रकरण में प्रस्तावित खदान की जानकारी का उल्लेख स्वीकृत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित नहीं है।
4. प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में परियोजना प्रस्तावक का नाम गलत अंकित है।

**प्रस्तावित खदान टॉर श्रेणी के अन्तर्गत जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये नयी खदान से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 25.03.2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।**

With reference to above querries, PP submitted point-wise their query reply on the Parivesh Portal vide dated 13.03.2025 wherein submitted that:

- **Regarding the QCI/NABET validity:** We would like to inform that the we are hereby attaching the Valid QCI/NABET certificate of our consultant which is valid till February 13, 2027 certification no: NABET/EIA/24-27/IA 0138 attached as annexure 2.
- **Regarding the Khasra PII & NOC from Gram Panchayat:** The Khasra PII of our mine lease area is attached as annexure 3 & NOC from Gram panchayat Karami Janpad Panchayt Bedhan letter no Q/09/2025 dtd 14-02-2025 and Thehrav prastav dtd 24-08-2023 issued for our project is attached as annexure 4.
- **Regarding the name of the mine in District Survey Report:** As the proposed project is fresh Quarry lease and it was principally sanctioned on dtd 05-10-2023 and the district survey report of district Singrauli was prepared before sanctioning of the mine lease i.e in year 2021-22 and therefore the name of this project was not mentioned in the approved District Survey Report. However we have attached the letter by the Collector OfÏce Khanij Shakha vide letter no 224/Khanij/DSR/2024 Singrauli dtd 16-01-2024 in which it is stated that the name of mine will be added in the Approved District Survey report Singrauli is attached as annexure 5.
- **Regarding the project proponent Notarized afÏdavit:** Previously, the incorrect afÏdavit was uploaded mistakenly and now hereby we are attaching the correct notarized afÏdavit as annexure 6.

  It is requested to kindly consider the above given information and letters for our project for the further process of granting ToR so that we can timely proceed for the further procedure of our project.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पडेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. एम सेंड प्लान्ट एवं क्रशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शातें हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।ई.आई.ए. रिपोर्ट में पर्यावरणीय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी प्रस्तुत करें।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, रिवर रिजुविनेशन(समीप के नदी स्त्रोत) हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
11. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
12. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

4. **Case No. P-2/560/24 Shri Bahadur Singh Gurjar, Partner, MAA BAGLAMUKHI STONE CRUSHER LLP, R/o-Bus stand Agar Sarangpur Road Community health centare Mo. Badodiya Shajapur, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.00 ha. (6500 m3/Year) (Khasra No. 346 Min-6), Vill. Sarsi, Tshil – Badodiya, Distt. Shajapur (M.P.). (DEIAA)Query Reply) B-2 category.**

**प्रकरण में SEACकी 750वीं बैठक दिनांक 14/05/2024 में बी2 प्रकरण के अंतर्गत की गई अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 856वीं–A बैठक दिनांक 29/05/2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07/05/2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही*

*"……4.*in view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such……..mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA……" के परिपालन में उक्त प्रकरण *पुनः परीक्षण हेतु* **SEAC** *को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

*भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07/05/2024 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही*

*"……4.*in view of the above direction of Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13.09.2018 is prohibited with the exception in respect of cases where ECs granted by DEIAA for such……..mining leases have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA……" के परिपालन में उक्त प्रकरण *पुनः परीक्षण हेतु* **SEAC** *को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

In the SEAC 773th meeting dated 17.02.25 after detailed discussion the committee decdided that ADS shall be issued in the all referred back cases so that PP shall submit their reply able to upload related documents if any.

समिति ने परीक्षण उपरान्त परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये–

भारतसरकार के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक फाईल नं- . IA3-22/11/2023-IA.III(E-208230) Dated 28/4/2023के बिंदु5-(x) अनुसार डिया प्रकरणों में स्टेट माइन्स एवं जियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा जारी कलस्टर सर्टिफिकेट कृपया अपलोड करें तत्पश्चात प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

5. **Case No. P2/592/24 Shri VISHNU PATIDAR, Owner, S/o Shri Dev Singh Patidar, Village - Kannod Mirji, District – Sehore (M.P.) Prior Environment Clearance for Basalt Stone in an area of 1.0 ha. (Basalt stone - 5004 m3/Year) (Khasra No. 131/3, 131/5) Village- Ahamadpur Viran, Tehsil- Ashta, District- Sehore (M.P) (Query Reply)(TOR)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 750 वीं बैठक दिनांक 14/05/2024, 759 वीं बैठक दिनांक 28/05/2024, 774 वीं बैठक दिनांक 18/02/2025 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण में SEAC की 750वीं बैठक दिनांक 14/05/2024 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 856-A वीं बैठक दिनांक 29/05/2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधी में 01 अन्य खदानें स्वीकृत होना परिलक्षित है, जिसका उल्लेख कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 6425 दिनांक 29.11.2023 में भी किया गया है, जिसका जिक्र* SEAC *समिति की अनुशंसा में नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु* SEAC *को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

After detailed discussion the committee decdided that ADS shall be issued in the all referred back cases so that PP shall submit their reply able to upload related documents if any.

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 25/03/2025 को परियोजना प्रस्तावकके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्सजेनिथ एनवायरमेंटकंसल्टेंसी, नोएडाउत्तरप्रदेशउपस्थितहुए और उनके द्वारासमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरणकियागया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधी में 01 अन्य खदानें स्वीकृत होना परिलक्षित है जिसका क्षेत्रफल 02.0हे. है, जिसका उल्लेख कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 6425 दिनांक 29.11.2023 में भी किया गया है, अतः प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधी में स्थित खदानों का कुल क्षेत्रफल 03.0 हे. होता है। अतः प्रकरण बी.2 श्रेणी में आता है।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व समिति की 750 वीं बैठक दिनांक 14/05/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

6. **Case No. 9376/2022 M/s Khushi Stone Crusher, Prop. Smt. Charu Yadav W/o Shri Manoj Yadav, H.No. 02, Sneh Nagar Colony, Dist. Indore, (M.P.).Prior Environment Clearance for Basalt StoneStone Quarry in an area of 4.60 ha. (28500 Cumm per annum) (Khasra No. 748, 749), Village Nahalda, Tehsil & District – Khandwa (M.P.) [464159] (EIA) (Referred BackCase ).**

**प्रकरण में SEACकी 751वीं बैठक दिनांक 15/05/2024 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 856वीं–A बैठक दिनांक 29/05/2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना दिनांक 16.03.2018 की है जिसकी अवधि पूर्व में समाप्त हो चुकी है तथा प्रकरण के* **Title** *में* **SEAC** *के अक्षांश* ***देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार द्वारा ग्राम नाहल्दा, तहसील व जिला खण्डवा के स्थान पर ग्राम रावद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर अंकित किया गया है*** *एवं लीज क्षेत्र* ***पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है*** *जिसके संबंध में भी* **SEAC** *द्वारा कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु***SEAC***को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

In the SEAC 776 meeting dated 22.02.2025 , after detailed discussion the committee decdided that ADS shall be issued in the all referred back cases so that PP shall submit their reply and shall able to upload related documents.

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खुशी स्टोन क्रेशर प्रो. श्रीमति चारु यादव, ऑनलाईनएवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेशउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

In their query reply on the portal PP submitted that:-

- Latest Mining scheme withprogressive mine closure plan for the Nahalda crusher stone quarry hasbeen approved by Directorate of Geology and mining Indore dated07.03.2025.
- Regarding old pits: - Project proponent received the mine in this formand pits are also shown in plates of latest Mining scheme.
- **Title of SEAC minutes:** changed from **Village Nahalda, Tehsil & District – Khandwa to Village Ravad, Tehsil Depalpur, District Indore**.

The committee after deliberation observed that the reply submitted on the portal by the the PP is satisfactory hence, standby earlier recommendation as made in eariler 751st SEAC meeting dated 15-05-24.

7. **Case No. 9417/22 Shri Surendra Singh Parmar S/o Shri Laxminarayan Parmar R/o Geetanjali Bhavan Ke Pass, Naya Aampura, District Morena (MP)-476001, Stone & M-Sand Quarry in an area of 3.632ha.+1.612 ha.=5.244 ha. (Stone 147000 Cum per year and M-Sand 49000 Cum per year) (Khasra No. 2188, 2189, 2190, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2201/2/1, 2201/1, 2202), Village Bilheti, Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP) [465454] For Amalgamation (Referred back- Query Reply)**

प्रस्तावित खदान की समिति की पूर्व 755वी बैठक दिनांक 21/5/24 को समामेलन हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 863-Bवीं बैठक दिनांक 10/06/24 (पत्र क्रमांक 1567 दिनांक 24/06/2024) के माध्यम से उक्त प्रकरण को सेक को भेजा गया।

*प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर फार्म–4 में अपलोड़ दसतवेजो के आधार पर प्रकरण Revalidation of Prior Environment Clearance in lieu of Amalgamation/का प्रतीत होता है जबकि सेक द्वारा प्रकरण में उक्त के संबंध में कोई उल्लेख न करते हुए सीधे नवीन पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है जिससे स्पष्ट नही होता है कि प्रकरण Revalidation of Prior Environment Clearance in lieu of Amalgamation का है या नवीन प्रकरण है ।अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु* **SEAC** *को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 776वीं बैठक दिनांक 22/02/2025 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

After detailed discussion the committee decdided that ADS shall be issued in the all referred back cases so that PP shall submit their reply and shall able to upload related documents.

प्रस्तुतीकरण आज दिनांक 25/03/2025को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स ऐसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

During presentation PP submitted that this is a case of amalgamation of two stone Quarry for which EC were issued with following details:

- EC Identification No. - EC22B001MP163430 File No. - 8567/2021 Date of Issue EC - 24/03/2022 (Area-1.612ha.)
- EC Identification No. - EC23B001MP132943 File No. - 9417/2022 Date of Issue EC - 23/06/2023- (Area-3.632ha.).

PP submitted that they have submitted an application for amend the EC for amalgamated lease area with production. The project "Bilheti Stone Mine for Making Gitti and M- sand through Crusher having lease area of 5.244 ha and production capacity of with production 197000cum/year stone and 49000 cum/year M sand at Khasra No: - 2188,2196 (Govt land), 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2197, 2201/2/1, 2201/1, 2202 (pvt land), 2186, 2187, 2198, 2199 (Pvt. land) , near village- Bilheti, Tehsil-Morar, District-Gwalior, State-Madhya Pradesh.

For amalgamation of both the lease area under latter issued by Collector Office, District Gwalior, letter no. 325 dated 29.02.2023wherein following details are mentioned:

| Sr. no. | Name of Leasee | Survey no./ Khasra no. | Area | LoI | Lease Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Surendra Singh Parmar | 2188, 2196 (Govt land), 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2197, 2201/2/1, 2201/1, 2202 (Pvt. land), 2186, 2187, 2198, 2199 (Pvt. land) | 3.632 ha. | 07.08.2023 | 07.09.2023 to 06.09.33 |
| 2 | Shri Surendra Singh Parmar | 2186, 2187, 2198, 2199 | 1.612 ha. | 08.04.2023 | 28.06.2021 to 27.06.31 |

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि कलेक्टर कार्यालय, जिला–ग्वालियर के पत्र क्रमांक 325 दिनांक 29/02/2024 के द्वारा दोनो खदानों के समामेलन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 23 में प्रावधानित अनुसार '' मंजूरी अधिकारी खनिज विकास के हित में तथा लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के साथ किसी पट्टेदार द्वारा धारित 02 या अधिक आसन्न पट्टों के अनुज्ञा दे सकेगा परन्तु समामेलन किये जाने वाले पट्टों की अवधि उस पट्टों के साथ सहसामापन योग्य होगी, जिस पट्टे की अवधि पहले पूरी होगी। '' तद्नुसार पट्टा समामेलन की स्थिति में समामेलित पट्टे की अवधि दिनांक 28/06/2021 से 27/06/2031 तक मान्य होगी।

दोनो खदानों के समामेलन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 23 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् आवेदक/पट्टेदार के पक्ष में उपरोक्त स्वीकृत दोनो आसन्न उत्खनिपट्टों का एतद् द्वारा समामेलन निम्नांकित शतों के अधीन किया जाता है :–

1. पट्टा समामेलन की स्थिति में समामेलित पट्टे की अवधि दिनांक 28/06/2021 से 27/06/2031 तक मान्य होगी।
2. नवीन संशोधित अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. आसन्न पट्टों की कुल उत्पादन क्षमता से अधिक क्षमता वृद्धि होने पर सिया भोपाल से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगी।
4. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नवीन सीटीओ प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. पूरक अनुबंध संपादित करना अनिवार्य होगा।

अतः समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि दोनो आसन्न उत्खनिपट्टों के संशोधन/समामेलन हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति क्रमांक EC Identification No. - EC22B001MP163430 File No. - 8567/2021 Date of Issue EC - 24/03/2022 (Area-1.612ha.) तथा EC Identification No. - EC23B001MP132943 File No. - 9417/2022 Date of Issue EC - 23/06/2023- (Area-3.632ha.) की लीज अवधि क्रमशः दिनांक 20.01.2031एवं दिनांक 21.08.2032तक है, अतः संशोधन/समामेलन पर्यावरण स्वीकृति की अवधि दिनांक 20.01.2031 तक वैध होगी एवं पूर्व में जारी दोनो आसन्न उत्खनिपट्टों केपर्यावरण स्वीकृति स्वतः शून्य/निरस्त मानी जावेगी। संशोधन/समामेलन पर्यावरण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी करने की अनुशंसा की जाती हैः–

1. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
2. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

**8. Case No. 11098/2023 M/s Salasar Minerals Prop, SHRI VIBHOR AGRAWAL, R/o 7/101, Civil Lines, Tilak Ward, Mandla, Dist. Mandla (MP) Dolomite Mine in an area of 2.25 ha. (50721 ton per year) (Khasra No. 104), Village-Bhatiya, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) [518376] (EIA-Query Reply)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज एरिया कुल 2.25 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है । प्रकरण में डिया से दिनांक 17/08/2016 की ई.सी. प्राप्त है ।

**समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–**

1. लीज एरिया पेसा (PESA)एक्ट के अर्न्तगत अधिसूचित क्षेत्र में आता है अथवा नहीं ? यदि हाँ तो ग्रामसभा का अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें ।
2. इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत करें ।
3. ई.एम.पी. योजना में गारलैण्ड ड्रेन बनाने का प्रस्ताव पर्याप्त बजट के साथ देंवे ।
4. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत स्कूल में 5 किलोवाट का सोलर पेनल लगाने का प्रस्ताव देंवे ।

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुएऔर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरानपर्यावरणीय सलाहकार द्वारासेक की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।समिति ने परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक पाई गई।

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–**

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट उत्पादन क्षमता –50,721टन/वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 24.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.09 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2715 वृक्षों का वृक्षारोपणकिये जाय`
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 3.0 लाख :–

| सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ | राशि (रू.में) |
|---|---|
| Installation of Solar panel of 5 KW in Bhatiyatola School | **300,000/-** |
| Total | **300,000/-** |

**9. Case No. 11099/2023 M/s Salasar Minerals Prop, SHRI VIBHOR AGRAWAL, R/o 7/101, Civil Lines, Tilak Ward, Mandla, Dist. Mandla (MP) Dolomite Mine in an area of 2.82 ha. (35915 ton per year) (Khasra No. 101/1, 101/2, 101/3), Village-Bhatiya, Tehsil-Nainpur, Mandla (MP) (EIA- Query Reply )**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | मेसर्स सालासर मिनरल्स निवासी–7/101सिविल लाइन्स, मंडला जिला मंडला (म.प्र.) | |
| खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | निजीभूमि | 2.82 hectare. |
| स्थल | ग्राम भटियाटोलातहनैनपुर, जिला मंडला(म.प्र.) | |
| लीज स्वीकृति | कार्यालय म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल पत्रक्र. एफ3–25/1994/12/2दिनांक 07.09.19 के द्वारा लीज स्थानांतरण शेष अवधि दिनांक04.01.2045 तक के लिए स्वीकृत । | |
| टॉर | सेक की मीटिंग 740वी बैठक दिनांक 24/04/2024 | |
| ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर | अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । | |
| डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) | डिया मंडला के पत्र क्रमांक 34 दिनांक 17.08.2016 के द्वारा पत्थर–35915 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है। | |
| प्रकरण की स्थिति | डिया से सिया । | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा35915 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 35915 मीट्रिक टन/वर्ष है। | |
| 500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंडला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1241 दिनांक 24.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में तेरहअन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 28.235 हे. होता है, अतः प्रकरण **बी–1** श्रेणी का है। | |
| वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1241दिनांक 24.07.2023अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र एवंवन क्षेत्र 242मीपरस्थित है।म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशक्र. एफ–5/16/81/10-3 भोपाल दिनांक 07.10.2002 कीकंडि का 2(छ) अनुसार वर्ष 2002 से पूर्व स्वीकृत उत्खनिपट्टा में 250 मी की दूरी में स्तिथ खनिरियायत में गठित समिति संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे | |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक | |

| | |
|---|---|
| | 1241 दिनांक 24.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिकभवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नालानहीं है । |
| ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत मुगदराजिला मंडलाके ठहराव प्रस्ताव दिनांक**02.02.2014**अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है । |
| प्रस्तावितस्थतपर वृक्षों की वर्तमानस्थिति | **No trees existed within lease area** |
| प्रस्तावितस्थल की गूगल इमेज अनुसारवर्तमानस्थिति | उत्तरदिशा–352मी. बंजरनदी |
| | दक्षिणदिशा–242मी. फारेस्ट |
| | पूर्वदिशा–260मी. फारेस्ट |
| | पश्चिमदिशा–790मीआबादी |
| प्रस्तावित खदान की जिलासर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति | परियोजनाप्रस्तावक ने बतायाकि इस खदान का विवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.–37के सरलक्रमांक–. 29परदर्जहै । |
| जन सुनवाई | समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई। |

775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025:-परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि-

- लीज एरिया कुल 2.82 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है ।
- प्रकरण में डिया से दिनांक 14/12/2016 को ई.सी. श्री नवीन कुमार कारीवाला से श्री विभोर अग्रवाल के नाम से ट्रांसफर हुई है ।

**<u>समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–</u>**

1. इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत करें ।
2. संशोधित ई.एम.पी. योजना जिसमें पहुँच मार्ग (यदिवनभूमिनहोतो) को पक्का करने का प्रस्ताव पर्याप्त बजट के साथ देंवे ।
3. पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

4. समिति द्वारा सुझाये अनुसार संशोधित फलदार/ पीपल,बरगद, गूलर, आवला, आचार पौधा रोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार मोक्षधाम का रीनोवेशन, पानी की व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प एवं समुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव देंवे ।
6. लीज एरिया पेसा (PESA)एक्ट के अर्न्तगत अधिसूचित क्षेत्र में आता है अथवा नहीं ? यदि हाँ तो ग्रामसभा का अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें ।

प्रस्तुतीकरण के दौरानपर्यावरणीय सलाहकार द्वारासेक की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।समिति ने परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक पाई गई।

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–**

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट उत्पादन क्षमता –35,915टन/वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 19.44 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.83लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 3380 वृक्षों का रोपणकिये जाये
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.90 लाख :–

| S no. | Activity | Quantification |
|---|---|---|
| 1 | Renovation of Mokshadham and installation of hand pump in village Bhatiyatola. | 90,000 |
| 2 | Construction of community hall in village Bhatiyatola. | 1,00,000 |
| **Total** | | **1,90,000** |

**10. Case No. 11086/2023 Shri Laxmi Agarwal, R/o 7/26, Tilak Ward, Civil Lines, Infront of City Kotwali, District Mandla(MP) Dolomite Mine in an area of 2.80 ha. (6988 ton per year) (Khasra No. 97), Village-Bhatiya, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) [518589] (EIA-Query Reply)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 740 वीं बैठक दिनांक 24/04/2024जिसमेंसमिति द्वारा टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी,एसईएसी 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में समिति के समक्ष EIA प्रस्तुत की गयी।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | Smt. Laxmi Agarwal, PROPONENT, 7/26, Tilak Ward, Civil Lines, In front of City Kotwali, Mnadla (MP) | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 97(निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड) | 2.80 hectare. |
| स्थल | Village: Bhatiyatola Tehsil- Nainpur, District-Mandla, (M.P.) | |
| लीज स्वीकृति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 727 दिनांक 18/05/17 के द्वारा स्वीकृत । | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । | |
| प्रकरण की स्थिति | डिया से सिया । | |
| डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) | डिया मण्डला के पत्र क्रमांक 31 दिनांक 17/08/16 के द्वारा डोलोमाइट–7,000 टीपीए हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है। | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट–6988घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट–6988घनमीटर/वर्षहै। | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1238 दिनांक 24/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 14.635 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है। | |
| वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1238 दिनांक 24/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । आवेतिद स्थल आर.एफ.–57 सीमा लाईन से लगा हुआ है । पट्टेदार को उत्खनिपट्टा दिनांक 29/09/1993 से स्वीकृत है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–5/16/81/10–3 दिनांक 07/10/02 की कंडिका 2(छः) अनुसार वर्ष 2002 से पूर्व स्वीकृत उत्खनिपट्टा में 250 मीटर की दूरी में स्थित खनि रियायत के संबंध में गठित समिति संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे । | |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1238 दिनांक 24/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में | |

| | |
|---|---|
| | मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है । |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत मुगदरा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–17 दिनांक 02/02/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है । |

एसईएसी**775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025**समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

1. इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत करें ।
2. संशोधित ई.एम.पी. योजना जिसमें पहुँच मार्ग को पक्का (यदिवनभूमिनहोतो) करने का प्रस्ताव पर्याप्त बजट के साथ देंवे ।
3. पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।
4. समिति द्वारा सुझाये अनुसार संशोधित फलदार पीपल,बरगद, गूलर, आवला, आचार पौधा रोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार **प्रस्ताव** देंवे ।
   लीज एरिया पेसा (PESA)एक्ट के अर्न्तगत अधिसूचित क्षेत्र में आता है अथवा नहीं ? यदि हाँ तो ग्रामसभा का अभिमत/अनापत्ति प्रस्तुत करें ।

प्रस्तुतीकरण के दौरानपर्यावरणीय सलाहकार द्वारासेक की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।समिति ने परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक पाई गई।

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–**

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट उत्पादन क्षमता –6988टन/वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.19 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.82लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 3360 वृक्षों का रोपणकिये जाये
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.30 लाख :–

| S no. | Activity | Quantification | Capital cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Construction of secondary school boundary wall of village Mugdara | - | 80,000 |
| 2 | Mount Concrete Chair at the Cremation ground in village Mugdara | - | 50,000 |
| **Total** | | | **1,30,000** |

**11. Case No. 11079/2023 Shri Rajkurma Agrawal R/o Tilak Ward, District Mandla (MP) Dolomite Mine in an area of 2.205 ha. (48964 ton per year) (Khasra No. 93), Village-Bhatiyatola, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) [518691] (EIA Query Reply).**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 740 वीं बैठक दिनांक 24/04/2024जिसमेंसमिति द्वारा टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी,एसईएसी की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में समिति के समक्ष EIA Report प्रस्तुत की गई ।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | Shri Raj kumar Agarwal, PROPONENT, TILAK WARD, MANDLA DISTRICT-MANDLA (MP) | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 93 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड) | 2.205 hectare. |
| स्थल | Village: Bhatiyatola Tehsil- Nainpur, District-Mandla, (M.P.) | |
| लीज स्वीकृति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 948 दिनांक 14/12/16 के द्वारा स्वीकृत । | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । | |
| प्रकरण की स्थिति | डिया से सिया । | |
| डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) | डिया मण्डला के पत्र क्रमांक 61 दिनांक 17/08/16 के द्वारा डोलोमाइट–49,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है। | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट–48,964 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट–48,964 टीपीए है । | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1290 दिनांक 03/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 12 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 44.168 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है। | |
| वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1290 दिनांक 03/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । आवेतिद क्षेत्र वन भूमि से लगा हुआ है । पट्टेदार को उत्खनिपट्टा दिनांक 05/02/1993 से स्वीकृत है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–5/16/81/10–3 दिनांक 07/10/02 की कंडिका 2(छः) अनुसार वर्ष 2002 से पूर्व स्वीकृत उत्खनिपट्टा में 250 मीटर की दूरी में स्थित खनि रियायत के संबंध में गठित समिति संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे । | |
| तहसीलदार की | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण–पत्र | |

| | |
|---|---|
| अनापत्ति | क्रमांक 1290 दिनांक 03/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है । |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत मुगदरा जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–20 दिनांक 02/02/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है । |
| प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति | परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–70 के सरल क्रमांक–3 पर दर्ज है । |

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया किलीज एरिया 02 पार्ट में कुल 1.546 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है व खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्तर दिशा में लीज क्षेत्र के अन्दर कुछ श्रमिकों के अस्थाई निवास एवं एक साईट ऑफिस स्थित है इस संबंध में उनके द्वारा 100 मीटर गैर खनन क्षेत्र छोड़ना प्रस्तावित किया गया है तथा लीज क्षेत्र में लगभग 15 पेड़ लगाये हुये हैं जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जावेगा अतः खनन हेतु 1.13 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है ।

**एसईएसी की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–**

1. इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत करें ।
2. संशोधित ई.एम.पी. योजना जिसमें पहुँच मार्ग को पक्का करने का प्रस्ताव पर्याप्त बजट के साथ देंवे ।
3. पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।
4. समिति द्वारा सुझाये अनुसार संशोधित फलदार पौधा रोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार **प्रस्ताव** देंवे ।

प्रस्तुतीकरण के दौरानपर्यावरणीय सलाहकार द्वारासेक की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।समिति ने परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक पाई गई।

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–**

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट उत्पादन क्षमता –48,964टन/वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.60 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.66लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2650 वृक्षों का रोपणकिये जाये
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.60 लाख :–

| S no. | Activity | Quantification | Capital cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Installation of solar Street light in Villages Bhatiyatola | - | 60,000 |
| 2 | Visual display system (Movie Projection) for religious and entertainment purpose will be provided to the panchayat office in Village Bhatiyatola. | - | 2,00,000 |
| **Total** | | | **2,60,000** |

**12. Case No. 10971/2023 Shri Hemant Agnihotri, Owner, Plot No. 61, Ashok Vihar, Giriraj Kishor Kapoor Ward, Near FCI Godam, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Imjhar Stone & Murum Quarry in an area of 1.546 ha. (Stone-15066, Murum-2087 cum per year) (Khasra No. 453/1, 456, 457/2), Village-Imjhar, Tehsil-Shahpura, District-Jabalpur (MP) [518503] (EIA) (Query Reply)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 718 वीं बैठक दिनांक 25/01/2024जिसमेंसमिति द्वारा टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी,एसईएसी की 775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025 में समिति के समक्ष EIA Reportप्रस्तुत की गई ।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | Shri HEMANT AGNIHOTRI, Owner (Authorized Signatory), Plot No 61, Ashok Vihar, Giriraj Kishor Kapoor Ward, Near FCI Godam , District-Jabalpur M.P. | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 453/1, 456,457/2(निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं भू–स्वामी है) | 1.54 hectare. |
| स्थल | Village- Imjhar, Tehsil- Shahpura, Dist- Jabalpur (M.P.) | |
| लीज स्वीकृति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 718 दिनांक 25/08/23 के द्वारा स्वीकृत । | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । | |
| प्रकरण की स्थिति | नया प्रोजेक्ट । | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–15,066 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम–2,087 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार औसतन उत्पान पत्थर–15,066 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम–2,087 घनमीटर/वर्ष है। | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 978 दिनांक 06/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 07.456 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है। | |
| वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 978 दिनांक 06/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 978 दिनांक 06/10/23 अनुसार आवेदित क्षेत्र से 290 मीटर पर नाला एवं कच्चे रास्ते से लगा हुआ है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है । | |

| | |
|---|---|
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत डोंगरझांसी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 19/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है । |
| प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1003 दिनांक 11/10/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । |

एसईएसी**775 वीं बैठक दिनांक 21/02/2025**परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया किलीज एरिया 02 पार्ट में कुल 1.546 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है व खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्तर दिशा में लीज क्षेत्र के अन्दर कुछ श्रमिकों के अस्थाई निवास एवं एक साईट ऑफिस स्थित है इस संबंध में उनके द्वारा 100 मीटर गैर खनन क्षेत्र छोड़ना प्रस्तावित किया गया है तथा लीज क्षेत्र में लगभग 15 पेड़ लगाये हुये हैं जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जावेगा अतः खनन हेतु 1.13 हेक्टेयर भूमि पर खनन कार्य प्रस्तावित है ।

**समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–**

1. इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत करें ।
2. संशोधित ई.एम.पी. योजना जिसमें पहुँच मार्ग को पक्का करने का प्रस्ताव पर्याप्त बजट के साथ देंवे ।
3. पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।
4. समिति द्वारा सुझाये अनुसार संशोधित फलदार पौधा रोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
5. सी.ई.आर. गतिविधि के अन्तर्गत समिति द्वारा सुझाये अनुसार **प्रस्ताव** देंवे ।

आज दिनांक 25/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, मेसर्स एम्बिएंटल ग्लोबल परिसते लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस को छोड़कर अन्य बिन्दुओं की जानकारी संतोषजनक पाई गई है। पर्यावरणीय सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक को उनके द्वारा प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट में भू–जल गुणवत्ता, सरफेस जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता के परिणामों को निर्धारित मापदण्डों तथा प्रस्तावित ईएमपी के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत किया जाये।

**13. Case No 10776/2025 Shri Ajay Pal Singh, Partner and Authorized Signatory, M/s Khajuraho Minerals Limited, 6 km, Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Garhi (Malhara) Pyrophyllite and Diaspore Mine in an area of 2.974 ha. (10920 TPA) (Khasra No. 131/3, 131/1, 187/1kh, 193), Village-Garhi, Tehsil-Maharajpur, District-Chhatarpur (MP) [518363] (EIA)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 707 वीं बैठक दिनांक 29/12/2023में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमेंसमिति द्वारा टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता | Shri Ajay Pal Singh, Partner and Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO MINERALS, 6 km Sagar Road, Dhadari Chhatarpur, M.P. | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 131/3, 131/1, 187/1Kh and 193 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की) | 2.974 hectare. |
| स्थल | Village – Garhi (Malhara), Tehsil - Maharajpur District- Chhatarpur (M.P.) | |
| लीज स्वीकृति | मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 3053 दिनांक 12/07/23 के द्वारा स्वीकृत । | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । | |
| प्रकरण की स्थिति | नया प्रोजेकट । | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा Pyrophyllite And Diaspore-10,920 TPAहेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Pyrophyllite And Diaspore-10,920 TPA है। | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2857 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 14.76 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है। | |
| वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2857 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । | |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2857 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ | |

| | |
|---|---|
| | बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है । |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | नगर परिषद गढ़ीमलहरा जिला छतरपुर पत्र क्रमांक 1412 दिनांक 04/10/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से परिषद् को कोई आपत्ति नहीं है । |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–23 एवं 24 पर दर्ज है । |

आज दिनांक 25/03/25 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अखिलेश सोनी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, कोर्डीनेटर, मेसर्स Aplinka Solutions & Technologies Private Limited, Noida (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

## General Information of the lease area :

| SI. NO. | PARTICULAR | DETAILS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Lease Area grant and amalgamation** | **GRANT ORDER NO AND DATED** | **FROM** | **TO** | **LEASE DEED EXECUTION DATE** |
| | | Garhi-1, 0.694 ha – G.O. Order No. 3-305/86/XII/2 dated 26/08/1986 | 10/09/1986 | 09/09/2036 | 10/09/1986 |
| | | Garhi-2, 2.28 ha – G.O. Order No. 3-124/90/12/6 dated 08/03/1991 | 26/07/1991 | 25/07/2041 | 26/07/1991 |
| | | Amalgamation Order No. 3054/1369665/2023/12/1/ dated 12/07/2023 | 10/09/1986 | 09/09/2036 | Order Issued. Lease validity remains till 09/09/2036 |
| 2 | **Mining Plan Approval** | Vide letter 08/10/2023 over 2.974 ha by Directorate of Geology & Mining, Madhya Pradesh, | | | |
| 3 | **TOR granted** | TOR prescribed Date – 14/02/2024 (2893/SEIAA/2024) post 827th SEIAA meeting on 24/01/2024 | | | |
| 4 | **Public Hearing conducted** | Public Hearing - 22/05/2024 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **Ekal praman patra** | Obtained dated 13/10/2023 [added in subsequent ToR Reply) | | |
| **6.** | **Project Cost** | ₹ 50 Lakhs. | | |
| 7. | Khasar No and area | **Khasara No** | **Total Area [ha]** | **Sanctioned Area [ha]** |
| | | 131/1, | 0.892 | 0.892 |
| | | 187/1 Khand | 0.635 | 0.635 |
| | | 131/3, | 0.694 | 0.694 |
| | | 193 | 2.869 | 0.753 |
| | | Total | 5.09 | 2.974 |
| 8 | Mineral Reserve and Resources (Tonnes) | **Mineral Reserve and Resources** | | |
| | | Proved Mineral reserve | | Pyrophyllite-176184 T<br>Diaspore–205548 T |
| | | Feasibility Mineral Resources | | Pyrophyllite- 277611 T<br>Diaspore–323879 T |
| | | Mineable reserve | | Pyrophyllite-176184 t<br>Diaspore–205548 t |
| 9. | Mining Method | Open cast Semi Mechanized method | | |
| 10. | Mine lease elevation | Highest elevation:-249mMSL.<br>Lowest elevation :-245mMSL | | |
| 11. | Ultimate depth of Mining | 35 m bgl [10 m above ground water table] | | |
| 12. | General Ground level | 245mRL | | |
| 13. | Ground water level | 40-45meterBGL | | |

**<u>समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–</u>**

1. परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन केवल 05 स्थानों पर किया गया है तथा ईएमपी में 06 स्थानों पर मापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में 02 खदान हैं, अतः वायु मापन न्यूनतम 08 स्थानों पर 01 माह की अवधि का परिणाम प्रस्तुत करें।
2. भू–जल स्तर का आधार/संबंधित विभाग का पत्र प्रस्तुत करें।
3. लोक जनसुनवाई में आमजनों द्वारा उठाये बिन्दुओं/सुझावों पर सीईआर/ईएमपी में समाधान प्रस्तुत करें।
4. सरफेस वॉटर (SW2) ग्राम बारी जल–स्त्रोत का विवरण उल्लेखित करें।
5. भू–जल गुणवत्ता, सरफेस जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता के परिणामों को निर्धारित मापदण्डों तथा प्रस्तावित ईएमपी के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत किया जाये।
6. स्थानीय निकाय की खनन संबंधी अनापत्ति प्रस्तुत करें।

**14. Case No. 9980/2025 Shri Vivek Dubey, Partner, M/s DA MINES AND MINERALS, Ram Manohar Lohiya Ward Nadipur, Front of Pali Threshers, Katni Madhya Pradesh, Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 3.42 ha. (51,488 Ton per annum) (Khasra No. 293, 294 & 295 (Govt. or Private) (Govt. or Private Land), Village- Malhan, Tehsil -Badwara, District-Katni (M.P.) [474583] (EIA)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 675 वीं बैठक दिनांक 11/07/2023 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमेंसमिति द्वारा टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता | Shri Vivek Dubey, Partner, M/s D A MINES AND MINERALS, Ram Manohar Lohiya Ward Nadipur, Front of Pali Threshers, Katni | |
| परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 293, 294 & 295 (Govt. or Private) | 3.42 Ha. |
| परियोजना स्थल | Village- Malhan, Tehsil - Badwara, District- Katni (M.P.) | |
| परियोजना की श्रेणी (बी–1/बी–2) | B-1 Dolomite Mine | |
| खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर | खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । | |
| प्रकरण की स्थिति (नया/क्षमता विस्तार) | Fresh | |
| डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) | डिया के पत्र क्रमांक 131 दिनांक 26/04/17 के द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति जारी की गई है । | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाईट–51,488 टन/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.–19 पर डोलोमाईट–51,488 टन/वर्ष हेतु स्वीकृत है। | |
| परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 416 दिनांक 13/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 16.56 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । | |
| परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 416 दिनांक 13/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव | |

| | |
|---|---|
| | जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । |
| परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 416 दिनांक 13/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है । |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति | ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/08/15 अनुसार खनन् कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है । |
| प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति | खदान क्षेत्र के अंदर दक्षिणी सीमा पर पेड़ पंक्तियों में लगे दिख रहे है । |
| प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो) | उत्तर दिशा– खदान का कुछ भाग खुदा हुआ दिख रहा है ।<br>दक्षिण दिशा– खदान से लगा हुआ हालेज रोड़ निकल रहा है एवं 148 मीटर पर एक कच्चा रोड़ है |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–30 के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है । |

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक श्री शम्भु अवस्थी, पार्टनर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स पी एण्ड एम साल्यूशन, नोएडा द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र निम्न जानकारी प्रस्तुत कीः–

- The mining lease was 1st sanctioned and renewed to Shree Mohan Shukla from 28.09.1978 to 27.09.2018. After the lessee expired on 22.10.2011, the lease area was substituted in the name of his legal heir Shree Aditya Shukla on 03.04.2013 vide supplementary agreement. The ML area was extended for 50 years period from the date of 1st grant of ML up to 27.09.2028 as per M M (D&R) Amendment Act 2015.
- The ML area has been transferred to the present lessee M/s D.A. Mines and Minerals vide state govt. letter no. 1844/666/2020/12/2 Bhopal dated 30.03.2022. The transfer deed was executed and registered on 14.06.2022 for balance period of lease i.e. up to 27.09.2028
- The ML area has been transferred to the present lessee M/s D.A. Mines and Minerals vide state govt. letter no. 1844/666/2020/12/2 Bhopal dated

30.03.2022. The transfer deed was executed and registered on 14.06.2022 for balance period of lease i.e. up to 27.09.2028

- The Modification in approved Scheme of Mining was approved on 01.11.2022 due to transfer of lease for period 2022-23 vide letter No 14849/M.P. cell -3/ Na. kra. 25/2022 by DGM MP in the name of M/s D.A. Mines and Minerals
- The EC was previously granted by DEIAA, Katni on 26/04/2017 for capacity 51503 TPA of mineral Dolomite
- TOR Letter was granted vide letter no. 1052/SEIAA/2023, dated 08/08/2023 .
- There is no forest land involved in the project area hence forest clearance is not required.
- 32 trees were found in the lease area. Out of which 23 trees are found in Mineable area and 9 trees are found in Safety Barrier Zone.

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु खदान क्षेत्र में हालेज मार्ग को पक्का किया जायेगा।प्रस्तुतीकरण कि दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि लीज क्षेत्र के अन्दर लगभग 32 पेड़ हैं जिनमें से 28 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है। समिति ने सुझाव दिया कि प्रतिबंधित श्रेणी एवं अन्य प्रजाति के वृक्षों को पुर्नस्थापित किया जाये।

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–**

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट उत्पादन क्षमता –51,488टन/वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.27 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 5.16 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 4500वृक्षों का रोपणकिये जाये
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0 लाख :–

| S. No. | Activities | Cost (Rs.) |
|---|---|---|
| 1. | **Installation of solar operated hand Pump with overhead tank in village Malhan** | 50,000 |
| 2. | **Infrastructure Development** | 1,00000 |
| | Construction of village road in village Malhan | |
| 3. | Aid to Primary School and PHC in Malhan | 50,000 |
| **Total** | | **2,00,000** |

**15. Case No. P2/1120/2025 SSri Gendraj Singh, Executive Engineer, Narmada Development Division No. 3, Katni, Distt.- Katni (M.P.), Pin – 483501. Prior Environment Clearance for Bahoriband Lift Micro Irrigation Project has been conceived to catter irrigation water to about 46,716 Ha. of CCA & 74,689 Ha. GCA in Katni District(M.P.), [525603] (TOR)**

This is a case of Prior Environment Clearance for Bahoriband Micro Lift Irrigation Project for the area GCA 74689 Ha. and its Net CCA is 46716 Ha. of Bahoriband micro lift irrigation project in Katni district. The villages which will be benefited are 183 Nos. of Tehsil Bahoriband, Sleemanabad and Rithi & Katni District Katni. The purpose of Bahoriband Micro Lift Irrigation is increased to production of crops and irrigation area. Categoty B-1 .(River Valley/Irrigation Projects). The project requires prior EC before commencement of any activity at site under category 1(c).

The PP submitted following information on the Parivesh portal:

| SN | Information Required | Details |
|---|---|---|
| 1. | Project Proposal No. | **SIA/MP/RIV/525603/2025**. |
| 2. | Project Name | Shri Gendraj Singh, Executive Engineer, Narmada Development Division No. 3, Katni, Distt.- Katni (M.P.), Pin – 483501.*Prior Environment Clearance for Bahoriband Lift Micro Irrigation Project has been conceived to catter irrigation water to about 46,716 Ha. of CCA & 74,689 Ha. GCA in Katni District(M.P.),***FoR-ToR.Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects,SIA/MP/RIV/525603/2025**. |
| 3. | Project Proposal For | New. |
| 4. | Proposed ToR | Proposed. |
| 5. | Description of Project | To provide the micro lift irrigation facilities for the area GCA 74689 Ha. and its Net CCA is 46,716 Ha. of Bahoriband micro lift irrigation project. The villages which will be benefited are 183 Nos. of Tehsil Bahoriband, Sleemanabad, Rithi& Katni District Katni. The purpose of Bahoriband Micro Lift Irrigation is increased to production of crops and irrigation area. |
| 6. | Administrative Approval | Endt. No. F NVD/2/0003/2023-Sec-1-27 Bhopal dated 31/03/2023. |
| 7. | Project Cost. | 143207 Lakhs. |
| 8. | CCA details | 46,716 Ha. |
| 9. | Longitude/Latitude (Details Coordinate as per Rev. DPR). | (i) Supply Source N- 2606645.798 E- 424025.344<br>(ii) Delivery Point N- 2620006.768 E- 407464.159 |
| 10. | River Name | Bargi Right Bank canal. |
| 11. | Type of Irrigation | Lift Micro Irrigation Project. |
| 12. | Benefit Villages | The villages which will be benefited are 183 Nos. of Tehsil Bahoriband, Sleemanabad, Rithi& Katni District Katni. |
| 13. | Whether any Forest Land involved in the project or part thereof | No. |
| 14. | Whether NBWL recommendation is | No. |

| | | |
|---|---|---|
| | required? | |
| **15.** | Declaration submit by P.P., | PP Submit Affidavit copy dated 04/03/2025 (Uploaded on Parivesh Portal). |
| **16.** | Land Requirement (in Ha) of the project or activity | Non-Forest Land [A] -7 Ha.<br>Forest Land [B] - 0Ha.<br>Total Land [A+B] - 7 Ha. |
| **17.** | Status of Rehabilitation & Resettlement (R&R) | NO. |
| **18.** | PCB Letter Critically Poluuted Area | PP Apply letter no. 188 dated 25/02/2025. |
| **19.** | DFO NOC details. | PP Apply letter no. 186 dated 25/02/2025.<br>(Information uploaded on Parivesh Portal). |
| **20.** | PWD distance letter | PP Apply letter no. 187 dated 25/02/2025 (CG - 130 k.m.).<br>(Information uploaded on Parivesh Portal). |
| **21.** | Env. Consultant details | M/s MITCON Consultancy and Engineering Services Ltd., Pune(Maharastra) Valid up to 05/02/2027. |

The case presented by the Env. Consultant Shri Rudraksh Agarwal, MITCON Consultancy and Engineering Services Ltd., Pune (Maharastra) and authorized representative of PP Shri Gendraj Singh, Executive Engineer, Narmada Development Division No. 3, Katni, Distt.- Katni (M.P.) for ascertain scope of EIA study.

Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Conservation of river course along with its tributaries,
2. Catchment area protection measures at large,
3. To control possible water logging in the area.
4. Explore possibilities to provide water during kharif season.
5. To educate farmers for proper utilization of water and adopt crop patterns to maintain overall ecological balance.
6. To avoid cutting of trees, adopt practicing shifting of trees as far as possible.
7. If project involves any forest area then F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report.
8. District-wise list of benefitted village in the command area under this project.
9. Bifurcation of RF and PF details (if any).
10. Status of land as per land recored register of concerned collector.
11. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
12. KML of FC clearance and EC clearance shall be submitted with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
13. Thematic disgram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.
14. Details of actual area occupied by pipes and other other area (such as for movement of trucks and logistic support) shall be calculated and discussd in the EIA report.

15. It shall also be verified if any area is falling under PESA Act, 1996, if yes their provisions shall accordingly be complied.
16. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
17. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
18. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
19. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
20. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
21. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.
22. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
23. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
24. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.

25. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
26. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
27. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
28. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
29. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
30. Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussd in the EIA report.
31. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report. Study on wild life status and protection measures shall be undertaken through forest department.
32. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
33. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
34. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

**16. Case No. P2/1121/2025 SHRI SANTKUMAR SIRSAM, EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCES DIVISION, Tehsil & District Narsinghpur (M.P.), Pin – 480115. Prior Environment Clearance for Machhrewa Irrigation Project on Machhrewa River covering a Cultural Command Area (CCA) of 16,375 Ha. & submergence area of 745.8123 Ha. in Tehsil & District - Narsinghpur of Madhya Pradesh State by Water Resources Department, (M.P.). Cat. B 1(c) River Valley/Irrigation Projects-TOR.**

This is a case of Prior Environment Clearance for Machhrewa Irrigation Project on Machhrewa River covering a Cultural Command Area (CCA) of 16,375 ha & submergence area of 745.8123 Ha. of CCA in Narsinghpur district. The Machhrewa Irrigation Project is set to develop a significant infrastructure by constructing a 39.4-meter-high dam across the Machhrewa River. This construction aims to harness for irrigation and drinking purpose.and store monsoon waters, enhancing water availability and usage during the Rabi season for an impressive command area of 16,375 hectares (CCA) through advanced water lifting techniques. The project will benefit water supply to the 40 villages for 2 districts B1 Cat.(River Valley/Irrigation Projects). The project requires prior EC before commencement of any activity at site under category 1(c).

The PP submitted following information on the Parivesh portal:

| SN | Information Required | Details |
|---|---|---|
| 1. | Project Proposal No. | SIA/MP/RIV/523542/2025. |
| 2. | Project Name | SHRI SANTKUMAR SIRSAM, EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCES DIVISION, Tehsil & District Narsinghpur (M.P.), Pin – 480115. Prior Environment Clearance for Machhrewa Irrigation Project on Machhrewa River covering a Cultural Command Area (CCA) of 16,375 Ha. & submergence area of 745.8123 Ha. in Tehsil & District - Narsinghpur of Madhya Pradesh State by Water Resources Department,(M.P.). **B1 Cat. Case. Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects,** SIA/MP/RIV/523542/2025. |
| 3. | Project Proposal For | New. |
| 4. | Proposed ToR | Proposed. |
| 5. | Description of Project | The Machhrewa Irrigation Project is set to develop a significant infrastructure by constructing a 39.4-meter-high dam across the Machhrewa River. This construction aims to harness and store monsoon waters, enhancing water availability and usage during the Rabi season for an impressive command area of 16,375 Hectares (CCA) through advanced water lifting techniques. The project will benefit water supply to the 40 villages for 2 districts for irrigation and drinking purpose. |
| 6. | CCA details | 16,375 Ha. |
| 7. | Project Cost. | 57977 Lakhs. |
| 8. | Project Site/Dam Coordinate | Latitude 22º48'58.55" N and Longitude 79º19'39.48" E<br>(Details Coordinate as per Form-1). |

| | | |
|---|---|---|
| **9.** | River Name | Machhrewa River. |
| **10.** | Type of Irrigation | Drip. |
| **11.** | Type of Dam. | Large. |
| **12.** | Hight of Dam | 47.0 Meter. |
| **13.** | Benefit Villages | Narsinghpur - 16, & Seoni 24 Total – 40. |
| **14.** | Whether any Forest Land involved in the project or part thereof | Yes.<br>FC Proposal No. - FP/MP/HYD/IRRIG/503403/2024.<br>Date of Submission - 28/10/2024.<br>Forest Area applied for diversion (in Ha) - 459.076 Ha. |
| **15.** | Whether NBWL recommendation is required? | No. |
| **16.** | Declaration submit by P.P., | Undertaking letter copy uploaded on Parivesh Portal by PP level. |
| **17.** | Land Requirement (in Ha) of the project or activity | Non-Forest Land [A] -286.7367 Ha.<br>Forest Land [B] - 459.0756 Ha.<br>Total Land [A+B] - 745.8123 Ha. |
| **18.** | Status of Rehabilitation & Resettlement (R&R) | YES.<br>No. of Villages-7, No. of Project Affected Families- 60,<br>Status of Rehabilitation & Resettlement-In Progress. |
| **19.** | DFO NOC details. | Letter No. 1188 dated 24/02/2025. |
| **20.** | PWD distance letter | EE, PWD, Narsinghpur Division, Distt.- Narsinghpur Letter No. 1809 dated 24/09/2024( Information uploaded on Parivesh Portal). |
| **21.** | EMP/ Env. Con | Mr. Subhash Kumar, M/s P& M Solution, Noida (U.P.)Valid up to 07/05/2026. |

The case presented by the Env. Consultant Mr. Subhash Kumar, M/s. P & M Solution, Noida (U.P.) and authorized representative of PP Shri Santkumar Sirsam, Executive Engineer Water Resources Division, and Tehsil & District Narsinghpur (M.P.) for ascertain scope of EIA study.

Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

1. Conservation of river course along with its tributaries,
2. Catchment area protection measures at large,
3. To control possible water logging in the area.
4. Explore possibilities to provide water during kharif season.
5. To educate farmers for proper utilization of water and adopt crop patterns to maintain overall ecological balance.
6. To avoid cutting of trees, adopt practicing shifting of trees as far as possible.
7. Since project involves459.076 ha.forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report.
8. District-wise list of benefitted village in the command area under this project.
9. Bifurcation of RF and PF details (if any).
10. Status of land as per land recored register of concerned collector.

11. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
12. KML of FC clearance and EC clearance shall be submitted with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
13. Thematic disgram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.
14. Details of actual area occupied by pipes and other other area (such as for movement of trucks and logistic support) shall be calculated and discussd in the EIA report.
15. It shall also be verified if any area is falling under PESA Act, 1996, if yes their provisions shall accordingly be complied.
16. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
17. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
18. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
19. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
20. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
21. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the

chapter.

22. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
23. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
24. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
25. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
26. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
27. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
28. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
29. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
30. Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussd in the EIA report.
31. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report. Study on wild life status and protection measures shall be undertaken through forest department.
32. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
33. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
34. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

**17. Case No 11132/2025 Shri Mukesh Sharma, Owner, R/o 226-A, Sector-C, Indrapuri, District-Bhopal (MP)-462001, Prior Environment Clearance for Manegaon Metal Stone Quarry in an area of 1.63 ha. (37097 cum per year) (Khasra No. 60), Village-Manegaon, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [520664] (EIA)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 742 वीं बैठक दिनांक 26/04/2024 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमेंसमिति द्वारा टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता | Shri Mukesh Sharma, Owner, R/o 226-A, Sector-C, Indrapuri, District-Bhopal (MP)-462001 | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | (शासकीय–नॉन फॉरेस्ट लेंड) | 1.0hectare. |
| स्थल | Khasra No- 49, Village-Manegoan,Tehsil&District- Jabalpur (M.P.). | |
| लीज स्वीकृति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपपुर के पत्र क्रमांक 875 दिनांक 05–05–2017 के द्वारा स्वीकृत । | |
| ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । | |
| प्रकरण की स्थिति | नया प्रोजेक्ट । | |
| डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) | डिया जबलपुर के पत्र क्रमांक 159/डिया/2018 दिनांक 19–01–2018 के द्वारा पत्थर–12,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है। | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–4,938घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 4,938 घनमीटर/वर्षहै। | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 01–11–2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, तथा आवेदित खदान को मिलाकर कुल रकबा 32.06 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है। | |
| वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 01.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । | |
| तहसीलदार की अनापत्ति | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 01.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 280 मीटर पर बरसाती नाला है, इसके अलावा मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय | |

| | |
|---|---|
| | महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता नहीं है । |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत मंगेली जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02–01–2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है । |
| क्रेशर की स्थिति | क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है । |
| प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति | पूर्व दिशा–60 मीटर पर मकान बने हुए है, जिसके लिए नॉन ब्लास्टिंग के प्रकरण हेतु 40 मीटर छोड़ते हुए मकान से 100 मीटर की दूरी रखी जायेगी |
| प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति | परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–20 के सरल क्रमांक–6 पर दर्ज है । |

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 25.03.2025 को परियोजना प्रस्तावक प्रमोद शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, ई.आई.ए. कोर्डीनेटर, एक्रो डिजाइन, गाजियाबाद उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**<u>समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–</u>**

1. प्रस्तुत ईआईए में परिवेशीय वायु गणवत्ता(पीएम 2.5 तथा पीएम 10), जल स्त्रोत(नदी) गुणवत्ता का पुनः आंकलन कर तदानुसार ईएमपी संशोधित कर प्रस्तुत करें नर्मदा नदी तथा परियट नदी की गुणवत्ता की जाँच पुनः की जाये। मृदा गुणवत्ता में SAR (सोडियम एबसारसन रेशो) की जाँच कराई जाये।
2. लोक जनसुनवाई में आमजनों द्वारा उठाये बिन्दुओं/सुझावों पर सीईआर/ईएमपी में समाधान प्रस्तुत करें। ग्राम–मारेगाँव में धूल कणों की समस्या उठाई गई है का समाधान प्रस्तुत करें।
3. भू–जल गुणवत्ता, सरफेस जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता के परिणामों को निर्धारित मापदण्डों तथा प्रस्तावित ईएमपी के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा कर इंवायरमेन्टल कॉस्ट बेनेफिट एनालीसिस प्रस्तुत किया जाये।

**18. Case No P2/1122/2025 Shri Santkumar Sirsam, Executive Engineer, Water Resources Division, Village – Chorai, Pench Colony, Chand Road, Tehsil - Chorai, Distt.- Chhindwara (MP) – 480115, Environmental Clearance for Sher Irrigation Complex Dam-1, Pench Colony, Chand Road, Teh Chouri, Dist Chindwara (MP) Environmental Clearance for Sher Irrigation Complex Project Dam-1 with CCA 6550 Ha [515494]. B2 Cat.**

This is a case of Prior Environment Clearance for Sher Irrigation Complex Dam-1with a Cultural Command Area (CCA) of 6550 ha in Chhindwara district. Category 1(c).(River Valley/Irrigation Projects). The project requires prior EC before commencement of any activity at site under

The PP submitted following information on the Parivesh portal:

| SN | Information Required | Details |
|---|---|---|
| **1.** | Project | **SIA/MP/RIV/515494/2025**. **Cat. - 1(c) River Valley Project.** |
| **2.** | Project Name | **SHRI SANTKUMAR SIRSAM, EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION, Village – Chorai, Pench Colony, Chand Road, Tehsil - Chorai, Distt.- Chindwara (MP) – 480115,***Environmental Clearance for Sher Irrigation Complex Project Dam-1 with CCA - 6550 Ha., River - Kurrmunda near Village – Piprali, Block – Lakhnadon, District-Sheoni (MP).* **SIA/MP/RIV/515494/2025**. |
| **3.** | Project Brief Summary | Proposed on the River - Kurrmunda near Village –Piprali, Block – Lakhnadon, District-Sheoni (MP). CCA of project is 6550 Ha. Length of Dam-1 is 3375 m with spillway portion having 5 gates and one standby gate. Size of gates are 7.5 m X 7.0 m. The Gross capacity of Sher Dam I is 28.096 MCM and live storage capacity is 26.28 MCM. The river bed level is 584 m and FRL and MWL kept as 593 m and 595 m respectively. Top Bank level is 597 m. The total length of piped canal is approximate 159 km by gravity to benefit 18 villages in the command. |
| **4.** | Project Proposal For | New. |
| **5.** | Project Cost | 26890.79 Lakhs. |
| **6.** | Type of Irrigation | Micro Irrigation. |
| **7.** | River details | River - Kurrmunda near Village –Piprali, Block – Lakhnadon, District- Sheoni (MP). |
| **8.** | Dam details | Length of Dam-1 is 3375 m with spillway portion having 5 gates and one standby gate. Size of gates are 7.5 m X 7.0 m. The Gross capacity of Sher Dam I is 28.096 MCM and live storage capacity is 26.28 MCM. The river bed level is 584 m and FRL and MWL kept as 593 m and 595 m respectively. Top Bank level is 597 m. |
| **9.** | Declaration No Construction Activity Start at project site | EE, Chindwara letter No. Nil Dated 27/01/2025 (Upload on Parivesh Portal). |
| **10.** | Land Requirement (in Ha) of the project or activity. | SN: 1. Nature of Land involved: Non-Forest Land [A]. Land Requirement (in Ha): 530.195 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. | Forest Land [B] | 31.28 |
| | | 3. | Total Land [A+B] | 561.475 |
| **11.** | Description of Project | Environmental Clearance for Sher Irrigation Complex Project Dam-1 with CCA - 6550 Ha. | | |
| **12.** | Latitude/ Longitude details | Latitude 22°37'58.62"N, Longitude 79°32'6"E. | | |
| **13.** | Whether any Forest Land involved in the project or part thereof | Yes. | | |
| **14.** | Proposal No./Project ID | FP/MP/HYD/IRRIG/505464/2024.<br>Forest Area applied for diversion (in Ha)- 31.28 Ha., | | |
| **15.** | Date of submission of Application. | 20/11/2024 | | |
| **16.** | Whether NBWL recommendation is required? | No, | | |
| **17.** | CTE/CTO details. | Will apply after getting Environmental Clearance. | | |
| **18.** | Total number of village to be benefited in the district | Distt. – Seoni, Village - 18 No.,<br>Area benefited in Ha. - 6,550. | | |
| **19.** | DFO NOC letter details | Letter No. 1915 Dated 07/03/2024.<br>Any part of the proposed project does not fall within any National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserve and Eco Sensitive Zone. The minimum distance from Panchmarhi Biosphere Reserve is 82.4 km and distance from Satpura tiger reserve is 99.6 km and from the project (As per Project Summary upload on Parivesh Portal). | | |
| **20.** | PWD distance letter | Letter No. 459 Dated 29/01/2024 (Maharashtra State distance reported - 137 Km.). | | |
| **21.** | EIA Consultant details | M/s PDCOR Limited, Jaipur (Raj), Valid up to 28th March2025. | | |

The case presented by the Env. ConsultantShri N.S. Satshangi, Technical Advisor, M/s PDCOR Limited, Jaipur (Raj), and authorized representative of PP Shri Santkumar Sirsam, Executive Engineer Water Resources Division, and Tehsil & District Narsinghpur (M.P.)

After presentation the committee asked PP to submit following information for further consideration of the project:

1. Surface water quality report must include essential parameters MPN, BOD & COD.
2. Soil Analysis must report SAR test also.
3. Forest land area covered is 31.0 ha. with 2170 various endanger species, therefore equal land area for forest with plantation may be submitted.
4. EMP requires revision in view of above points.

**19. Case No 10342/2025 Shri Anand Goenka R/o Goendka Bhavan, Station Road, District Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Manganese Ore Minein an area of 8.10 ha. (Expansion from 3430 TPA to 13580 TPA) (Khasra No. 523/1, 523/2, 523/3), Village-Pauniya, Tehsil-Katangi, District-Balaghat (MP) [522530] (EIA)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 663 वीं बैठक दिनांक 01/12/2023 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमेंसमिति द्वारा टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

सेक की 720 वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 समिति के संज्ञान में आया कि 673वीं बैठक दिनांक 01/09/2023 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा टॉर में Manganese Ore-Expansion from 3430 TPA to 13580 TPA उल्लेखित हो गया है जबकि अनुमोदित माइन प्लांन, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में उत्पादन क्षमता Manganese Ore- Expansion from 3430 TPA to 17,010 TPA) है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/2023 को अनुशंसित टॉर में Manganese Ore-Expansion from 3430 TPA to 13580 TPA के स्थान पर Manganese Ore-Expansion from 3430 TPA to 17,010 TPA पढ़े जाने का निर्णय लेती है, शेष अन्य टॉर की शर्ते यथावत रहेंगी ।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज | |
|---|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता | Shri ANAND GOENKA. Proprietor, Goenka Bhavan, Station Road, Katni, Madhya Pradesh 483501 | |
| खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी) | 523/1, 523/2, 523/3(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड) | 8.10 hectare |
| स्थल | ग्राम PAUNIYA तसहील Tirodi जिलाBalaghat(म.प्र.) | |
| लीज स्वीकृति | खनिज साधान विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांम एफ–3–36/92/12/2, दिनांक 23/07/10 द्वारा स्वीकृत। | |
| श्रेणी (बी–1/बी–2) | बी–1 | |
| नया/क्षमता विस्तार | यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है । | |
| उत्पादन क्षमता | परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैग्नीज ओर–3430 टीपीए से 13,580 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है । | |
| 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 03/10/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.027 हे. | |

| | |
|---|---|
| | होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है। |
| वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति | वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण (सा.) वन मण्डल बालाघाट 6993 दिनांक 20/09/22 अनुसार पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी की बफर रेंज अरी का वन क्षेत्र स्थित है, जिसकी दूरी लगभग 9 कि.मी. है, एवं अन्य शेष नहीं है । |
| तहसीलदार की अनापत्ति | तहसीलदार तिरोड़ी जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 471 दिनांक 08/08/22 अनुसार उत्खनिपट्टा से पक्का रास्ता लगकर है, 500 मीटर के अंदर मानव बसाहट, रेल्वे लाईन एवं नहर स्थित है । |
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति | ग्राम पंचायत पौनिया जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है । |
| गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति | आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है<br>उत्तर दिशा– रेल्वे ट्रेक 47 मी. |
| | दक्षिण दिशा– पक्की रोड 16 मी. |
| | पूर्व दिशा– नहर 103 मी. एवं 183 मी., कुछ मकान 83 मी. |
| | पश्चिम दिशा– आबादी 143 मी. |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | प्रकरण मुख्य खनिज का है, अतः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागे नहीं है । |

प्रस्तावित खदान का दिनांक 25/03/25 को परियोजना प्रस्तावक की अधिकृत प्रतिनिधि गुंजन गोयनका एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें बताया गया कि यह उत्पादन क्षमता विस्तार का प्रकरण है, प्रस्तुतीकरण के दौरान पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की सर्टिफिकेट कम्पलाईन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

**Salient Features of the project :**

| S.No. | PARTICULARS | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1. | Area | 8.10 Ha |
| 2. | Land use | Govt. Land |
| 3. | Initial Lease | 23.07.2010 for 20 Years |
| 4. | Lease Extension | 50 Years (22.11.2016 – 21.11.2066) |
| 5. | Type of Project | Expansion case |
| 6. | Previous EC | Previously Project has been awarded prior environmental clearance from State Environment Impact assessment authority MP with vide letter no. 1495/SEIAA/14 Dated 27.10.2014 with the production capacity of 3430 TPA. |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Proposed production | Proposed production capacity of Manganese Ore : 17,010 TPA |
| 8. | Mineable Reserve | 60,376.05 Tonnes of Manganese |
| 9. | Expected Life of Mine | 3.599 or say 4 years |
| 10. | Proposed method of mining | Open Cast mechanized |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Reserved Forest | Bichuwa | 1.97 | W |
| | | Garraghat | 3.38 | S |
| | | Agri | 9.09 | NW |
| 12 | Nahileshra Main Canal | | 6.81 | N |
| 13 | Chandan River | | 7.46 | ENE |
| 14 | Sarpunkasa Nala | | 8.31 | WSW |
| 15 | Pench Tiger Reserve Buffer zone | | 09 | W |

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि उत्तर दिशा में रेल्वे ट्रेक 47 मी. की दूरी पर है, पर्यावरणीय सलाहकार ने अवगत कराया कि इस दिशा में 100 मी. तक गैर खनन क्षेत्र छोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है।दक्षिण दिशा में रोड 16 मी. दूरी पर है तथा इसी दिशा में50 मी. तक गैर खनन क्षेत्र छोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है।कुछ हटमेन्ट 83 मी. पर हैं इस संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि इस दिशा में 50 मी. तक गैर खनन क्षेत्र छोड़ा जावे एवं इस क्षेत्र में तीन लेयर में घना वृक्षारोपण किया जाये।इस प्रकार कुल क्षेत्र 8.10 हे. में से गैर खनन क्षेत्र 2.59 हे. छोड़ने के पश्चात खनन योग्य क्षेत्र 5.51 हे. उपलब्ध होगा। लीज क्षेत्र में 1200 वृक्ष लगे हुये हैं इनमें से कोई भी वृक्ष नहीं काटे जावेगें।समिति ने परियोजना प्रस्तावक के द्वारा प्रस्तुत अन्य जानकारी संतोषजनक पाई गई।

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–**

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मैगनीजउत्पादन क्षमता –17,010टन/वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.31 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.48लाख प्रति वर्ष।

- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 8100 वृक्षों का रोपणकिये जाये
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.44 लाख केपिटल एवं रिकरिंग रू. 0.10 लाख प्रतिवर्ष :–

| PLANTATION COST | | | |
|---|---|---|---|
| **S. NO.** | **Particulars** | **Budget Provisions (Rs)** | |
| | | **Capital** | **Recurring** |
| 1. | ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत पौनिया) 6,950 Sapling x @*50 Rs.) | 34,750 | Nil |
| 2. | बैरियर जोन (200 Sapling x @ 100 Rs.) | 20,000 | 5,000 |
| 3. | परिवहन मार्ग (950 Sapling x @ 200Rs.) | 1,90,000 | 5,000 |
| **Total** | | **2,44,700** | **10,000** |

**20. Case No 10918/23 Shri Dharmendra Kansana, Lessee, R/o M-119, Madhavnagar, District-Gwalior (MP)-474002, Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone Quarry in an area of 2.180 ha. (100000 cum per year) (Khasra No. 140, 141, 142), Village-Raphadpura, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [508873] (EIA)**

पूर्व में यह प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 717 वीं बैठक दिनांक 24/01/2024,समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमेंसमिति द्वारा टॉर जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

| परियोजना विवरण | परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज |
|---|---|
| परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता | Shri Dharmendra Kansana, Lessee, R/o M-119, Madhavnagar, District-Gwalior (MP)-474002, Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone Quarry in an area of 2.180 ha. (1,00,000 cum per year) (Khasra No. 140, 141, 142), Village-Raphadpura, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [448900] [DEIAA] |
| परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल | खसरा नं.–140, 141, 142, एरिया– 2.180ha., निजी भूमि |
| परियोजना स्थल | Village-Parichchha Kirar, Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP) |
| सैंधातिक सहमति | पत्र क्र0. 3599 दिनांक 18/03/2020. |
| परियोजना की श्रेणी | **बी–1,** प्रस्तावित टॉर परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित किया गया है। |
| खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर | • Control BLASTING. (As per Parivesh Portal up-loaded information). |
| **डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)** | DEIAA Gwalior EC Letter No. 281 date 05/10/2018. DEIAA to SEIAA Case. (EC Stone - 1,00,000M$^3$). |
| उत्पादन क्षमता | **स्टोन– 1,00,000 cum per year.** |
| परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण। | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **ग्वालियर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1745 दिनांक 02/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 21 अन्य खदाने स्वीकृत है, कुल रकबा **43. 96 हे.**होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। |
| परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **ग्वालियर**के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1745 दिनांक 02/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। |
| परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी | कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **ग्वालियर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1745 दिनांक 02/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है। |

| | |
|---|---|
| ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद् | ग्राम पंचायत –**रफादपुर**, जिला –**ग्वालियर** का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 05 दिनांक 05/11/2009 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है। |
| जल/वायु सम्मति वैद्यता दि0. | 30/06/2027. |
| प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति | Tree Existed - No |
| जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति | परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. – 81 के सरल क्रमांक – 67 पर दर्ज है। |

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/03/2025 को परियोजना प्रस्तावक Shri Shubam Bansal, Partner,Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकारShri Amit Saxena, M/s Apex Mintech Consultants, (Rajasthan)उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गयां।

**Salient Features of the project :**

- Initially the Quarry lease extraction of stone suitable for crushing purpose has been granted in favour of M/s Devshakti Stone Crusher through Shri Dharmendra Singh Kansana S/o Shri Rajendra Singh Kansana , R/o Village Rafadpur, - Dabra, District- Gwalior (M.P.) under Rule 18 (2) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules 1996 By the District Collector (Khanij Branch) Gwalior for 10 Year upto 30.06.2020.
- The Environment Clearance Granted by District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) Gwalior (M.P.) for production of Stone (Gitti) 100000 cum/year vide letter no. 281/DEIAA/N. Kra. -1/2018, Dated 05.10.2018.
- Mining Lease renewal LOI of Stone Quarry, suitable for crushing purpose has been renewal for next 10 year's. The same was granted and issued letter of intent by the Directrate Geology & Mining Department Bhopal (M.P.) vide letter No. 3599-601/Khanij/U.P./N.Kra. 03/2020 Bhopal Dated 18/03/2020. For 10 years.
- Therefore the modified Mining Plan & Progressive Mine Closure Plan prepared for Rafadpur Stone Quarry over an area of 2.180 Hect. production of Stone (Gitti) 100000 cum/year The Same was approved vide its letter no. 8554/Minng plan cell-7/Gwalior/Na. Kra.39/2020 Bhopal dated 29.08.2020
- As per the Environment Impact Assessment (EIA) Notification S.O. 1533 (E) dated 14th September 2006 and its subsequent amendment,. The area of our project is less than 5 Ha., as per 500-meter certificate issued by mining officer, Gwalior vide its letter no. Q.L.-

87/2019/1745, Gwalior, Dated 02.11.2023but since there are another 21 mines situated within 500m radius of our lease periphery and the cumulative area 43.096 ha.(included this mining project) will be more than 5 ha, thus our project falls under B1 Category.

- Our mine is situated near village Rafadpur; this region spreads has 65 another mines in it. The whole area is considered as Biloua, Rafadpur and Chirpura Cluster. This cluster is considered as the core zone for our study of EIA/EMP. Around this area, a buffer zone is considered up to 10Km radius around the core zone (Cluster). Therefore, is being prepared for Shri Dharmendra Singh Kansana and the preparation of Environment Impact Assessment/Environment Management Plan (EIA/EMP) is being carried out while considering of the whole Biloua, Rafadpur and Chirpura Cluster.
- **Environmental Management Plan For Cluster**

| S. No. | Particulars | Capital Cost (Rs.) | Annual Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Preparation of Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 X 1m) having length 12604 meters (Cost 50 X 12604 meters = Rs. 6,30,200) and siltation ponds (Nos. 58) (dimensions 5.02 m X 3.0 m X 3.0 m) (Cost Rs. 5000 x Nos. 58 = Rs. 290000/-) and maintenance Rs. 35000/-Per year | 9,20,200 | 35,000 |
| 2. | Fencing up to 2 meters' height around the catch drain length 12604 meters' x 2 x 500 (length x 2 meter x @ 50/-) and maintenance Rs. 200000 per year. | 1,26,04,000 | 2,00,000 |
| **TOTAL** | | **1,35,24,200** | **2,35,000** |

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि रफादपुर कलस्टर क्षेत्र जो कि 43.96 हे. का हैइस क्षेत्र के पर्यावरण प्रबंधन हेतु आस–पास के सभी खदानों के लीज धारकों द्वारा सामुहिक रूप से गारलेण्ड ड्रेन निर्मित की जावेगी साथ ही क्षेत्र में हालेज रोड, पहुँच मार्ग का रख–रखाव, क्षेत्र में वृक्षारोपण श्रमिकों के लिये समय–समय पर प्रशिक्षण तथा क्षेत्र में जनकल्याण हेतु आवश्यक कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में उत्तर दिशा की ओर कुछ शेड बने हुये है जो कि श्रमिकों के रेस्ट शेल्टर हैं, एवं दक्षिण दिशा में जो पक्की रोड है वह हालेज रोड है, जिसका संधारण लीज धारकों द्वारा सुनिश्चित करना प्रस्तावित है। खनन क्षेत्र में क्रशर

स्थापित/प्रस्तावित नहीं है अतः धूल कणों के दूर तक जाने की सम्भावना न्यूनतम है। क्षेत्र में भू–जल लगभग 50 से 60 मी. पर है तथा खनन कार्य अधिकतम 35 मी. तक प्रस्तावित है।

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–**

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार स्टोन उत्पादन क्षमता –1,00,000घनमीटर/वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 19.35लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 5.41 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2600वृक्षों का रोपणकिये जाये
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0लाख प्रतिवर्ष :–

| क्रमांक | प्रस्तावित गतिविधि | राशि (रु.) |
|---|---|---|
| 1. | निकट ग्राम रफादपुर के शासकीय विद्यालय मे सौलर पैनल लगावाने हेतु राशि प्रदान की जायेगी । | **2,00,000** |
| | कुल | **2,00,000** |

# Referred Cases

## 21. Case No. P2/752/24 Shri SUNIL KUMAR GUPTA, JIJORA STONE MINE 2.0 HA Niwari (M.P) Prior Environment Clearance for JIJORA STONE MINE 2.0 HA Niwari (M.P) MIN/469346/2024 (DEIAA Case )

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

## 22. Case No. P2/753/24 Shri SUNIL KUMAR GUPTA, SITAPUR STONE MINE 4.0 HA Niwari (M.P)Prior Environment Clearance for SITAPUR STONE MINE 4.0 HA Niwari (M.P) [MIN/469361/2024 [MIN/469361/2024 (DEIAA Case )

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04 2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**23. Case No. P2/754/24 Shri OM PRAKASH JAIN STONE QUARRY 2.500 HA PIRTAPPURA Niwari (M.P)Prior Environment Clearance for STONE QUARRY 2.500 HA PIRTAPPURA (M.P) [MIN/469405/2024(DEIAA Case ).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**24. Case No. P2/755/24 Shri Vishal Gupta Sita Stone Quarry Area 3.50 ha Khasra No.- 226/1, Niwari (M.P)Prior Environment Clearance for Sita Stone Quarry Area 3.50 ha Khasra No.- 226/1, Niwari (M.P) (B2) [MIN/469411/2024] (DEIAA Case )**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOR प्रक्रिया केअनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**25. Case No. P2/1004/24 Shri Mukesh Jain. Lessee, M/S GRANITE INDIA, 43 Jawahar Road District Chhatarpur (M. P.)Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 4.10 ha. (3000 cum per annum) (Khasra No. 794) Village Garhi Malhara Tehsil Maharajpur District Chhatarpur (M.P.) B-2 SIA/MP/MIN/475302/2024 DEIAA- Re-appraisal**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र

क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**26. Case No. P2/970/24 Shri Shyam Sharma, M/s Survodaya Manufacturer & Contractor, GANGA MAI SANTAR MURAR GWALIOR (M.P.)-474001Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Mine for Making Gitti Through Crusher, Lease Area: 0.50 Ha., Stone 2,205 M3/Year. at Khasra No. 3624/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior (M.P.). ToR Case. DEIAA to SEIAA) SIA/MP/MIN/472112/2024.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्र. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**27. Case No. P2/979/24 Shri Rajendra Singh, Project Proponent, M/s KISHAN STONE CRUSHERS, WARD NO. 14, DOGARIYA TOLA, AMLAI COLONY ANUPPUR(M.P.)-484116,Prior Environment Clearance for Haweli Stone Quarry Lease, Gitty/Boulder 12,348 M3/Year, Lease Area - 1.441 ha, Khasra No.518/1, 518/2, at Village Haveli, Tehsil Pushparajgarh, Distt.-Anuppur, (M.P.).(DEIAA Case )**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**28. Case No. P2/1010/24 Shri Chandrasekhar Maina, R/o-Pahadsinghpura Khargone, District-Kharogone, M.P, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone 7566 m3/Year) (Khasra No. 25) Village Adampura, Tehsil Khargone, District Khargone (M.P.). (TOR) SIA/MP/MIN/472971/2024 (DEIAA Case )**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार पुरिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया केअनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**29. Case No. P2/995/24 Shri Vinod Kumar Khedia, Proprietor, M/s KISAN EXPORTS, Khedia Bhawan, P.O. Bijuri, Tehsil Kotma, Distt-Anuppur MP-484440, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.247 ha. (2963 cum per annum) (Khasra No. 465, 469 466 & 467) Village- Malka, Tehsil-Maharajpur, District- Chhatarpur, (M.P.) TOR SIA/MP/MIN/474874/2024 DEIAA- Re-appraisal.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।
अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**30. Case No. P2/971/24 Shri Sanjeev Mittal S/o Shri Vasudev Mittal M/s Kailadevi Stones Partner, Niwasi-776, Sheel Nagar, Bahodpur,, District Gwalior (M.P.). 282001,Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone Mine for Making Gitti Through Crusher at Khasta No. 135, an Area 2.987 ha., at Village Rafatpur, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.), with Production: Stone-50,000 M3/ Year.(DEIAA Case )**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों के appraisal/Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**31. Case No. P2/976/24 Shri Sunil Sharma s/o Ramavtaar Sharma, Propritor, Mis Shiva Stone Crusher. Niwasi Birla Nagar, Gwalior (M.P.) -474001, Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Quarry at Khasra No.-3717/2, an Area - 2.00 ha., at Village Bilaua, Tehsil Dabra, District-Gwalior (M.P.). with Production: Stone - 38,808 M3/ Year. SIA/MP/MIN/475615/2024 (DEIAA Case )**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवं SEAC की संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों के appraisal/Re-appraisal हेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**32. Case No. P2/967/24 Smt. VINITA YADAV, W/o Shri Uttam Singh R/o 63, New Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, City Centre, District-Gwalior (M.P.) 474011,Prior Environment Clearance for Biloua Stone Mine Project at Khasra No.- 3717/2, an Area -1.50 ha., at Village Bilaua, Tehsil - Dabra, District- Gwalior (M.P.). with Production: Stone -45,684 M3/ Year. (SIA/MP/MIN/472763/2024) (DEIAA Case )**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764 वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**33. Case No. P2/1005/24 VINITA SHARMA, lease owner, R/o- B-7, Sahkari Parisar, Kalpana Nagar, Raisen Road, District- Bhopal Madhya Pradesh-462022,Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.760 ha. (Stone 5080 m3/Year) (Khasra No. 39,45,46,47) Village-Ratatal, Tehsil-Huzur & District-Bhopal, Madhya Pradesh. (TOR) SIA/MP/MIN/475521/2024 (DEIAA Case )**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765 वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरणस्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**34. Case No. P2/1006/24 Shri KAILASH GUPTA, B.N. 69 KARIYAPPA MARG, IN FRONT OF BSNL EXCHANGE, CANTT JHANSI (UP), Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.00 ha. (Stone - 51617 m3/Year) (Khasra No. 1/1) Village -Pratappura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.). SIA/MP/MIN/476646/2024(DEIAA Case )**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765 वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**35. Case No. P2/1007/24 Shri VISHAL GUPTA, LESSEE, 117/4, CIVIL LINE NEAR ALLAHABAD BANK, IN FRONT OF RED ROSE SCHOOL, JHANSI (UP), Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (Stone-23211 m3/Year) (Khasra No. 3/2) Village -Bhojpura, Tehsil Orchha, Distt. Niwari (M.P.) SIA/MP/MIN/469398/2024(DEIAA Case )**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765 वी बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित स्टैण्डर्ड TOR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रक्रिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में TOR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी-1 श्रेणी का मानते हुये उनमें Standard ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

दिनांक 05.03.2025 को SEIAA एवंSEACकी संयुक्त बैठक में DEIAAप्रकरणों केappraisal/Re-appraisalहेतु आवेदित प्रकरणों के निराकरण के संबध में विस्तृत चर्चा उपरान्त संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों को बी–2 श्रेणी से Withdraw करें एवं परियोजना प्रस्तावक को नया आवेदन बी–1 श्रेणी (डिया प्रकरण 5.0 हे. से अधिक) के अन्तर्गत किया जावे। इस बावत् परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किये जावे तत्पश्चात् प्रकरण में स्टण्डर्ड टॉर जारी किया जा सकेगा । शुल्क का समायोजन नियमानुसार किया जावेगा । इस तरह के सभी प्ररकणों में कार्यवाही लागू होगी ।

**अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु :–**

वर्तमान में परिवेश–2.0 पोर्टल में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के परियोजनाओं के प्राप्त आवेदनों का सेक स्तर पर प्रक्रिया शुल्क संबंधी फीस की ऑनलाईन जमा शुल्क संबंधी दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण को स्वीकार कर, प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण कर अपनी अनुशंसा को प्रेषित करता है, अतः सेक स्तर पर शुल्क का मिलान करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है । उपरोक्त परिपेक्ष्य में समिति की अनुशंसा है, कि सिया द्वारा शुल्क का परीक्षण कर रिकार्ड संधारण/पुष्टि का कार्य पूर्ववत् ही किया जावें तथा शुल्क का समाधान होने पर ही ई.सी. के संबंध में निर्णय लिया जावें।

| | |
|---|---|
| **( ए.ए.मिश्रा )** | **(राकेश कुमार श्रीवास्तव)** |
| **सदस्य सचिव** | **अध्यक्ष** |

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for

plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. **लीज क्षेत्र के अंदर में केवल क्रेशर /एम–सेंड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**

- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

38. **क्रशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।**

- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
- खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

39. **यदि आवंटित खनन पट्टा भू–स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।**

1. **<u>क्षतिपूर्ति के संबंध में:–</u>**

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।